न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

1. निगरानी संख्या— 45/2012—13

श्रीमती यशोदा देवी आदि —बनाम— श्री महेश

2. निगरानी संख्या— 46/2012—13

श्रीमती यशोदा देवी आदि —बनाम— श्री जीत बहादुर

उपस्थिति: श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री अरूण सक्सेना।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी : श्री रंजन सोलंकी।

बावत
खसरा नम्बर—1197 मि0 रकबा 0.38 एकड़
मौजा गल्जवाड़ी, परगना केन्द्रीय दून
तहसील व जिला देहरादून।

आदेश

यह निगरानीयाँ निगरानीकत्री द्वारा विद्वान सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून द्वारा वाद संख्या— 83/2007—08 जीत बहादुर बनाम सर्वे नायब तहसीलदार एवं वाद संख्या—84/2007—08 महेश कुमार बनाम सर्वे नायब तहसीलदार अन्तर्गत धारा—27(3)/54 भू—राजस्व अधिनियम मौजा ग्राम गल्जवाड़ी, परगना केन्द्रीय दून, तहसील व जिला देहरादून में पारित निर्णयादेशों दिनांक 03—08—2012 के विरूद्व योजित की गई हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बैनामें के आधार पर सर्वे नायब तहसीलदार द्वारा प्रपत्र 6 भाग 2 पर आदेश दिनांक 15—02—2001 के द्वारा प्रतिपक्षीगण का नाम माल कागजात में दर्ज किया गया था और आदेश दिनांक 17—03—2001 से पूर्व आदेश दिनांक 15—02—2001 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व उपरोक्त निगरानी के प्रतिपक्षीगण द्वारा सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून के न्यायालय में पृथक—पृथक अपीलें योजित की गई जो निर्णयादेशों दिनांक 03—08—2012 से स्वीकार हुई। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकत्री द्वारा उपरोक्त पृथक—पृथक निगरानियाँ इस न्यायालय में योजित की गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकत्री श्रीमती यशोदा देवी ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 1197 मि0 रकबा 0.26 एकड़ विकय पत्र के माध्यम से कय की तथा निगरानीकत्री का नाम तहसीलदार, देहरादून द्वारा नामान्तरण वाद संख्या—3599 वर्ष 2001 में पारित आदेश दिनांक 09—04—2001 से राजस्व अभिलेखों में श्री योगेश्वर प्रसाद आदि के स्थान पर अंकित हो गया। निगरानीकर्ता संख्या—02 व 3 कमशः श्री बाबूराम एवं श्री हरी प्रसाद ने भूमि खसरा नम्बर—1197 मि0 रकबा 0.2. एकड़ विकय पत्र के माध्यम से कय किया तथा उनका नाम नायब तहसीलदार, देहरादून के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या—1873 वर्ष 2001 में पारित आदेश दिनांक 04—05—2001 से राजस्व अभिलेखों में श्री योगेश्वर प्रसाद आदि के स्थान पर अंकित हो गया। इसी प्रकार निगरानीकर्ता संख्या—4 श्री रेशम राज ने भूमि खसरा

नम्बर–1197 रकबा 0.0160 है0 विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की तथा तहसीलदार, देहरादून द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–3598 वर्ष 2001 में पारित आदेश दिनांक 09–04–2001 से राजस्व अभिलेखों में श्री योगेश्वर प्रसाद के स्थान पर उनका नाम अंकित हो गया। अधिवक्ता निगरानीकर्तागण द्वारा तर्क दिया गया कि सहायक अभिलेख अधिकारी के न्यायालय में योजित अपीलों में निगरानीकर्तागण को कोई नोटिस अथवा सम्मन नहीं भेजा गया और न ही निगरानीकर्तागण को उक्त अपील की कोई जानकारी किसी अन्य माध्यम से हुई। सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून ने बगैर सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये तथा मौके की स्थिति के विपरीत नायब तहसीलदार के उपरोक्त आदेशों को निरस्त कर दिया गया। उपरोक्त निगरानियों के प्रतिपक्षीगण महेश कुमार व जीत बहादुर का अध्यासन खसरा नम्बर–1197 के किसी भी भाग पर नहीं हैं ऐसी स्थिति में उनका नाम खसरा नम्बर–1197 पर दर्ज नहीं किया जा सकता है। प्रतिपक्षीगण ने प्रभाव शून्य विक्रय पत्र के आधार पर अपना दावा करते हुए कालबाधित अपील अन्तर्गत नियम–27(3) सर्वेक्षण नियमावली के तहत प्रस्तुत की जो कि पोषणीय नहीं थीं। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय विक्रय पत्रों की तिथि को आधार माना है। अवर न्यायालय ने प्रतिउत्तरदातागण द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किए बिना ही प्रस्तुत अपीलों को निस्तारित कर दिया जो कि त्रुटिपूर्ण है। अवर न्यायालय को नियम–27(3) सर्वेक्षण नियमावली के तहत प्रस्तुत अपील की सुनवाई के दौरान सिर्फ सर्वे नायब तहसीलदार, देहरादून द्वारा प्रपत्र–6 भाग–2 के आदेश दिनांक 15–02–2001 एवं 17–03–2001 को निरस्त किए जाने व सुनवाई का अधिकार था परन्तु सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा नामान्तरण वादों में पारित आदेश दिनांक 04–05–2001 को भी निरस्त कर त्रुटि की गई है। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, देहरादून द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा–34 के अन्तर्गत पारित नामान्तरण आदेश हैं जिनके विरूद्व पुनर्स्थापन प्रार्थना की सुनवाई क्षेत्राधिकार मात्र मूल न्यायालय अर्थात तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को है जिनकी अपीलों की सुनवाई का अधिकार कलेक्टर को है। अधीनस्थ न्यायालय धारा–54(6) भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग उसी स्थिति में कर सकती है जब अवर न्यायालय के समक्ष सर्वेक्षण के तहत जारी पर्ची खतौनी के विरूद्व आपत्ति प्रस्तुत की गई हो। वर्तमान प्रकरण पर्ची खतौनी के विरूद्व आपत्ति के तहत नहीं है। मात्र सर्वे नायब तहसीलदार द्वारा प्रपत्र 6 पर पारित आदेश को नियम–27(3) के तहत चुनौती दी गई है। अतः सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश दिनांक 03–08–2012 त्रुटिपूर्ण हैं।

अधिवक्ता उत्तरदाता ने तर्क दिया कि प्रतिपक्षीगण ने प्रश्नगत भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से उसके पूर्व स्वामी से दिनांक 01–01–97 को क्रय की थी और क्रय करने की दिनांक से वे उस पर काबिज हैं। उक्त भूमि का दाखिल खारिज प्रतिपक्षीगण के नाम सर्वे नायब तहसीलदार, देहरादून के प्रपत्र–6 भाग–2 कमांक 32 पर आदेश दिनांक 15–02–2001

से कागजात माल में दर्ज किया गया, परन्तु जब प्रतिपक्षीगण लेखपाल से उक्त भूमि की खतौनी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि पूर्व आदेश दिनांक 15–02–2001 को सर्वे नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 17–03–2001 से बिना उनको सूचना दिए निरस्त कर दिया गया है। अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रश्नगत खसरा नम्बर में अन्य कई दाखिल खारिज प्रतिपक्षीगण के दाखिल खारिज के पश्चात हुए हैं। सर्वे नायब तहसीलदार ने एकपक्षीय रूप से पूर्व पारित आदेशों को अपने आदेश दिनांक 17–03–2001 से निरस्त कर दिया गया। सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं हैं। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रतिपक्षी द्वारा आर०डी० 1992 पृष्ठ–48 की विधिक व्यवस्था भी प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त दोनों निगरानियों के समान प्रकृति एवं समान पक्षकार होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णयादेश से किया जा रहा है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर अपीलीय न्यायालय की वाद पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि सर्वे नायब तहसीलदार, देहरादून द्वारा विक्रय पत्रों के माध्यम से क्रय की गई भूमि का नामान्तरण आदेश दिनांक 15–02–2001 को प्रपत्र–6 भाग–2 पर अंकित किया गया, परन्तु पुनः आदेश दिनांक 17–03–2001 से प्रतिपक्षीगण का नाम निरस्त किया गया। सर्वे नायब तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 17–03–2001 इस परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया कि भूमि उसके कुल क्षेत्रफल से अधिक विक्रय की गई है। इस आदेश के विरूद्व प्रतिपक्षीगण ने सहायक अभिलेख अधिकारी के न्यायालय में अपीलें योजित की जो निर्णयादेश दिनांक 03–08–2012 से स्वीकार हुई। सहायक अभिलेख अधिकारी की वाद पत्रावलियों के अवलोकन से यह विदित है कि विद्वान सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून द्वारा निर्णयादेश दिनांक 03–08–2012 पारित करने से पूर्व निगरानीकर्तागण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। यह आदेश एकपक्षीय आदेश है। विधिनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकित खातेदार का नाम निरस्त करने से पूर्व उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानियाँ स्वीकार कर सहायक अभिलेख अधिकारी, देहरादून के आदेश दिनांक 03–08–2012 निरस्त कर वाद सहायक अभिलेख अधिकारी को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए वादों का गुणदोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण करें। आदेश की प्रति निगरानी संख्या–46 वर्ष 2012–13 श्रीमती यशोदा देवी बनाम श्री जीत बहादुर पर भी रखी जाय।

दिनांकः 21 अप्रैल, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।